भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 502

06.02.2023 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्राप्त/उपयोग की गई धनराशि

502. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर की गई प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) विकसित देशों ने वर्ष 2009 में विकासशील देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2020 तक प्रति वर्ष 100 अमरीकी डालर के जलवायु वित्त जुटाने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता की थी। नवंबर, 2022 में सीओपी 27 में सभी देशों द्वारा अपनाई गई शर्म अल-शेख कार्यान्वयन योजना नामक अति महत्वपूर्ण निर्णय में गंभीर चिंता के साथ कहा गया है कि विकसित देशों के पक्षकारों का वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष संयुक्त रूप से 100 बिलियन अमरीकी डालर जुटाने का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और इसके अलावा, विकसित देशों के पक्षकारों से इस लक्ष्य को पूरा करने का आग्रह किया गया है।

भारत की जलवायु-शमन संबंधी कार्रवाइयों को अब तक बड़े पैमाने पर घरेलू स्रोतों से वित्तपोषित किया गया है, जिनमें सरकारी बजटीय समर्थन के साथ-साथ बाजार तंत्र और राजकोषीय साधनों और नीतिगत अंतर्क्षेपों का मिश्रण शामिल हैं। फरवरी, 2021 में यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत की गई भारत की तीसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (बीयूआर) के अनुसार, वर्ष 2014-2019 के दौरान, वैश्विक पर्यावरण सुविधा और हरित जलवायु कोष ने कुल 165.25 मिलियन अमरीकी डालर का अनुदान प्रदान किया है।

(ख) पेरिस समझौते के तहत, भारत ने अपनी जलवायु कार्रवाई में उच्च महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन करते हुए अपना अद्यतित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रस्तुत किया है। भारत के एनडीसी में अद्यतन लक्ष्यों में वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करना; वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत की स्थापित क्षमता प्राप्त करना; और वर्ष 2030 तक अतिक्ति वन और वृक्षों के आच्छादन के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन सीओ$_2$ समतुल्य का एक अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाए रखना और 'लाइफ' पर्यावरण के लिए जीवनशैली हेतु एक जन आंदोलन के माध्मय से परंपराओं एवं संरक्षण और मितव्ययता के मूल्यों के आधार पर जीवन जीने के एक स्वस्थ और संधारणीय तरीके का प्रचार करना शामिल है। सरकार जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) को लागू कर रही है, जो एक व्यापक नीतिगत ढांचा है तथा उसमें सौर ऊर्जा, बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता, जल, कृषि, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, संधारणीय पर्यावास, हरित भारत, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। इसके अलावा, 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एनएपीसीसी के उद्देश्यों के अनुरूप जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) तैयार की है। सरकार ने अनुकूलन और शमन दोनों पर भारत की कार्रवाई को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। नवम्बर, 2022 में यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत भारत की एलटी-एलईईएस (दीर्घकालिक निम्न कार्बन विकास कार्यनीति) के अनुसार, भारत का निम्न कार्बन विकास का दृष्टिकोण, गरीबी उन्मूलन, संधारणीय विकास के लक्ष्यों और आर्थिक विकास सहित विकास के लिए भारत की उच्च ऊर्जा आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर आधारित है।

उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2005 और 2016 के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 24 प्रतिशत की कमी आई है। दिसम्बर, 2022 की स्थिति के अनुसार, भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित संचयी विद्युत स्थापित क्षमता 174.53 गीगावाट (42.53 प्रतिशत) है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2021 के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्षावरण 8,09,537 वर्ग किमी पहुंच गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62 प्रतिशत है। यह वर्ष 2019 के पिछले आकलन की तुलना में 2261 वर्ग किमी (0.28 प्रतिशत) की वृद्धि है।

****